न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
82 / 2015 / प्रा.पत्र / 2015	30.09.2015	28.09.2022

मदनलाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
............प्रार्थी

बनाम

1–श्री राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र स्व. श्री पॉचू लाल एफ.बी.ओ. मैसर्स टी.सी. ब्रोकर्स मेन बस स्टेण्ड पचेवर तह. मालपुरा जिला टोंक निवासी जैन मोहल्ला पचेवर तह. मालपुरा जिला टोंक
2–श्री संजय कुमार जैन पुत्र श्री रतन लाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स श्री पवन एजेन्सीज कृष्णा टाकीज के सामने ट्रक स्टेण्ड मालपुरा जिला टोंक निवासी वार्ड नं. 14 आदिनाथ मन्दिर के पास मालपुरा जिला टोंक राज.
3–श्री सुभाष शर्मा पुत्र श्री द्वारका प्रसाद शर्मा प्रोपरायटर मैसर्स योगेश फूड प्रोडक्ट, 57 बगराना आगरा रोड जयपुर राज. निवासी 164 हुडको आवास योजना सूरजपोल जयपुर राज.

.........अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार उप.।
2–अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री तेजमल जैन उप.।

:–निर्णय–: **दिनांक 28.09.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.05.2015 को समय 01:50 पीएम पर मैसर्स टी.सी. ब्रोकर्स मेन बस स्टेण्ड पचेवर तह. मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र स्व. श्री पॉचू लाल जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री राजेन्द्र कुमार जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में अन्य खाद्य पदार्थों के साथ **लाइट फैट कोहिनूर किचन स्पेशल मूल पैक (Lite Fat kohi-Noor Kitchen Special Origional Pack)** 449–449 ग्राम के 6 नग रखे हुए थे, जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री राजेन्द्र कुमार जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ श्री राजेन्द्र कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **लाइट फैट कोहिनूर किचन स्पेशल मूल पैक**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

(Lite Fat kohi-Noor Kitchen Special Origional Pack) वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 449–449 ग्राम के 4 नग कुल वनज 1796 ग्राम खरीदे, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **लाइट फैट कोहिनूर किचन स्पेशल मूल पैक (Lite Fat kohi-Noor Kitchen Special Origional Pack)** 449–449 ग्राम के 1–1 नग को अलग–अलग चार प्लास्टिक के डिब्बों में रखकर चारों डिब्बों को एयरटाइट बन्द किया एवं चारों नमूना भाग हेतु चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–993 एवं पूर्ण विवरण अकित किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–993 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

श्री राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र स्व. श्री पॉचू लाल एफ.बी.ओ. मैसर्स टी.सी. ब्रोकर्स मेन बस स्टेण्ड पचेवर तह. मालपुरा जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स श्री पवन एजेन्सीज कृष्णा टाकीज के सामने ट्रक स्टेण्ड मालपुरा जिला टोंक का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया। वारंटी होने के कारण मैसर्स श्री पवन एजेन्सीज कृष्णा टाकीज के सामने ट्रक स्टेण्ड मालपुरा जिला टोंक को फार्म नं. 5 ए की सूचना, वारन्टी बिल व आवश्यक दस्तावेज मंगवाने बाबत पत्र प्रेषित किया तो उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स सुभाष चन्द सुनील कुमार एण्ड सन्स प्लॉट 57 राज नगर, आगरा रोड जयपुर का वारंटी बिल प्रस्तुत किया।

वारन्टी होने के कारण मैसर्स सुभाष चन्द सुनील कुमार एण्ड सन्स प्लॉट 57 राज नगर, आगरा रोड जयपुर के प्रबन्धक को फार्म नं. 5ए की सूचना, वारन्टी बिल व आवश्यक दस्तावेज मंगवाने बाबत् पत्र प्रेषित किया लेकिन उक्त फर्म के व्यवहारी ने कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया। इस पर आवेदक ने श्रीमान वाणिज्य कर अधिकारी जोन II सर्किल A-II जयपुर से सम्पर्क कर उक्त फर्म के व्यवहारी का नाम व पता चाहने की सूचना प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./15/2641 दिनांक 03.08.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट सं. एल.एस./409/एक्ट/2015/426 दिनांक 09.07.2015 के अनुसार विकेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **लाइट फैट कोहिनूर किचन स्पेशल मूल पैक (Lite Fat kohi-Noor Kitchen Special Origional**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Pack) मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता/फर्मों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 13.05.2022 को श्री तेजमल जैन एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय चाहा एवं दिनांक 09.06.2022 को जवाब पेश किया। अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में अप्रार्थीगण पर न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **लाइट फैट कोहिनूर किचन स्पेशल मूल पैक (Lite Fat kohi-Noor Kitchen Special Origional Pack)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने प्रस्तुत जवाब तथा अभिभाषक अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **लाइट फैट कोहिनूर किचन स्पेशल मूल पैक (Lite Fat kohi-Noor Kitchen Special Origional Pack)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 पर शास्ति रूपये 30,000/– (अक्षरे तीस हजार रूपये), अप्रार्थी सं. 2 पर शास्ति रूपये 50,000/– (पचास हजार रूपये) तथा अप्रार्थी सं. 3 पर शास्ति रूपये 1,80,000/– (अक्षरे एक लाख अस्सी हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 28.09.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.09.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक